

**स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची**

**वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा, 2021 के संदर्भ में
विचार-विमर्श से संबंधित दिनांक 02.12.2020 को सम्पन्न बैठक
की कार्यवाही**

निदेशक, जे०सी०ई०आर०टी० के पत्रांक 304 दिनांक 26.11.2020 के द्वारा सत्र 2020-21 में कोविड-19 के मद्देनजर प्रश्नपत्र पैटर्न में बदलाव करने का प्रस्ताव झारखण्ड अधिविद्य परिषद् को दिया गया था। उक्त के आलोक में झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा तैयार किए गए प्रश्न पत्र पैटर्न पर विचार-विमर्श हेतु सरकार के सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 02.12.2020 को अपराह्न 12:30 बजे उनके कार्यालय कक्ष में एक बैठक आहूत की गई, जिसमें निम्न पदाधिकारी उपस्थित हुए।

- (1) सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
- (2) अध्यक्ष, झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
- (3) निदेशक, मा० शि०, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
- (4) निदेशक, प्रा० शि०, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
- (5) निदेशक, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्
- (6) सचिव, झारखण्ड अधिविद्य परिषद्
- (7) उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा

बैठक में वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षाओं में पूछे जानेवाले प्रश्नों के पैटर्न पर विचार-विमर्श किया गया।

निदेशक, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् -सह- जे०सी०ई०आर०टी० द्वारा बताया गया कि झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा आयोजित की जानेवाली माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षाओं में पूछे जानेवाले विषयवार प्रश्नों यथा-MCQ/VSA/SAT/LAT की अधिमानता (प्रतिशत में) की तुलनात्मक प्रतिवेदन अन्य राज्यों के साथ तैयार कर झारखण्ड अधिविद्य परिषद् को पत्रांक 304 दिनांक 26.11.2020 के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है एवं समीक्षोपरान्त सत्र 2020-21 के लिए प्रश्नपत्र



पैटर्न निर्धारित कर समन्तब्य मॉडल प्रश्नपत्र पैटर्न विभागीय सचिव के अवलोकनार्थ उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

सचिव, झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा बताया गया कि निदेशक, जे०सी०ई०आर०टी० के पत्र के आलोक में प्रश्नपत्र पैटर्न की समीक्षा की गई। इस संबंध में दिनांक 01.12.2020 को CBSE, ICSE तथा देश के सभी राज्यों के बोर्ड के साथ प्रस्तावित बैठक में विचार-विमर्श भी किया गया है। बैठक में हुए विचार-विमर्श तथा झारखण्ड राज्य के शैक्षणिक वातावरण को ध्यान में रखते हुए सत्र 2020-21 के लिए प्रश्नपत्र पैटर्न में बदलाव कर विभागीय सचिव के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ परिषद् पत्रांक 194/2020 दिनांक 01.12.2020 के द्वारा समर्पित किया गया है। मॉडल प्रश्नपत्र पैटर्न परिषद् द्वारा निम्नवत् रूप में तैयार किया गया है :-

CLASS - 10							
Sl. No.	Subject	Recommendation of JAC (In %)					
		MCQ + VSA	VST	Short ans	Long Ans	IA	TOTAL
1	HINDI	20	20	20	20	20	100
2	ENGLISH	20	20	20	20	20	100
3	SANSKRIT	20	20	20	20	20	100
4	URDU	20	20	20	20	20	100
5	MATH	20	20	20	20	20	100
6	SCIENCE	20	20	20	20	20	100
7	SOCIAL SCIENCE	20	20	20	20	20	100
8	BUSINESS STUDIES	20	20	20	20	20	100
9	ACCOUNTANCY	20	20	20	20	20	100

CLASS - 12						
Sl. No.	Subject	Recommednation by JAC (In %)				
		MCQ+VSA	VST	Short Ans	Long Ans	TOTAL
1	HINDI	40	20	20	20	100
2	ENGLISH	40	20	20	20	100
3	SANSKRIT	40	20	20	20	100
4	MATH	40	20	20	20	100
5	PHYSICS	40	20	20	20	100
6	CHEMISTRY	40	20	20	20	100
7	BIOLOGY	40	20	20	20	100
8	HISTORY	40	20	20	20	100
9	GEOGRAPHY	40	20	20	20	100
10	ECONOMICS	40	20	20	20	100
11	BUSINESS STUDIES	40	20	20	20	100
12	ACCOUNTANCY	40	20	20	20	100
13	ENTERPRENUERSHIP	40	20	20	20	100
14	BUSINESS MATHEMATICS	40	20	20	20	100

झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा तैयार किए गए मॉडल प्रश्नपत्र पैटर्न की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए तैयार प्रश्नपत्र पैटर्न को यथावत् स्वीकार करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

विभागीय सचिव महोदय द्वारा माध्यमिक परीक्षा के प्रश्नपत्र पैटर्न कुछ बदलाव करने का निदेश दिया गया। सचिव महोदय द्वारा बताया गया कि कोविड-19 के कारण विद्यालय में कक्षाओं का संचालन नहीं किया जा रहा है। इससे कक्षा में छात्रों की उपस्थिति नहीं है। Internal Assessment में उपस्थिति के आधार पर भी विद्यालय द्वारा अंक प्रदान किए जाते हैं। उपस्थिति नहीं होने के कारण उक्त अंक प्रदान करने में विद्यालय को कठिनाई होगी। अतः सत्र 2020-21 में माध्यमिक परीक्षा में Internal Assessment का पूर्णांक (विज्ञान विषय को छोड़कर; क्योंकि इसमें प्रायोगिक परीक्षा ली जाती है, अतः यह 20 अंकों का ही होगा) 10 अंकों का ही निर्धारित किया जाय। Internal Assessment के शेष 10 अंक MCQ+VSA में समाहित कर दिया जाय। अर्थात् माध्यमिक परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र पैटर्न निम्नवत् रूप में किया जाना श्रेयस्कर होगा :-

CLASS - 10							
Sl. No.	Subject	Recommendation of JAC (In %)					TOTAL
		MCQ + VSA	VST	Short ans	Long Ans	IA/Pract.	
1	HINDI	30	20	20	20	10	100
2	ENGLISH	30	20	20	20	10	100
3	SANSKRIT	30	20	20	20	10	100
4	URDU	30	20	20	20	10	100
5	MATH	30	20	20	20	10	100
6	SCIENCE	20	20	20	20	20	100
7	SOCIAL SCIENCE	30	20	20	20	10	100
8	BUSINESS STUDIES	30	20	20	20	10	100
9	ACCOUNTANCY	30	20	20	20	10	100

सर्वसम्मति से विभागीय सचिव महोदय द्वारा दिए गए निदेश पर सहमति जतायी गयी एवं झारखण्ड अधिविद्य परिषद् को उक्त पर कार्य करने हेतु विभागीय सचिव द्वारा निदेश दिया गया।

निदेशक, जे०सी०ई०आर०टी० द्वारा बैठक में जानकारी दी गई कि कोविड-19 के प्रसार मद्देनजर विद्यालय/महाविद्यालय में कक्षाओं का संचालन नहीं होने के कारण सत्र 2020-21 के लिए कक्षा 09 से 12 तक की पाठ्यक्रम में कटौती कर संक्षिप्त की गई है। संक्षिप्त पाठ्यक्रम की जानकारी एवं Material झारखण्ड अधिविद्य परिषद् को उपलब्ध करा दिया गया है, ताकि आगामी परीक्षाएँ इसी आधार पर आयोजित की जाय। साथ ही इसे परिषद् के वेबसाइट पर प्रकाशित करने का भी अनुरोध किया गया है ताकि संबंधित शिक्षकों एवं छात्रों को इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। सचिव, झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा बताया गया कि संक्षिप्त पाठ्यक्रम परिषद् के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। आगामी परीक्षाएँ इसी संक्षिप्त पाठ्यक्रम पर ही आयोजित की जायेंगी।

बैठक में सदस्यों द्वारा यह प्रस्ताव दिया गया कि संक्षिप्त पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल प्रश्नपत्र छात्रों की सुविधा के लिए तैयार किया जाय। सचिव, झारखण्ड

BL

अधिविद्य परिषद् द्वारा यह बताया गया कि संक्षिप्त पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल प्रश्नपत्र तैयार करायी जा रही है। अतिशीघ्र इसे छात्रों के लिए परिषद् के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जायेगा। बैठक में विभागीय सचिव सहित सभी सदस्यों द्वारा परिषद् के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी।

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।


ह0/-

सचिव,
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : जे.सी.ई.आर.सी/प्रति 03-50/2020/ 314...../ राँची, दिनांक : 08.12.2020.....

- प्रतिलिपि :- (1) सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची
(2) अध्यक्ष, झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
(3) निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, झारखण्ड, राँची

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ समर्पित।



निदेशक,
राज्य शिक्षा परियोजना परिषद्,
राँची।